(1)

बिहार सरकार
कृषि विभाग
प्रेस नोट

कृषि रोड मैप (2023–28) के कंडिका–1.6 में कृषि बाजार व्यवस्था सुधार अंतर्गत राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने तथा किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग अंतर्गत एक कृषि विपणन निदेशालय किया गया है। उक्त निदेशालय कृषि रोड मैप के तहत् परिकल्पित विभिन्न प्रस्तावों और अन्य विपणन संबंधी योजनाओं और नीतियों को लागू करेगा और किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। नवसृजित कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुशासन बनाये रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल–14 (चौदह) पदों को सृजित किया जाना है जिससे विपणन विकास से संबंधित गतिविधियों किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को गतिशीलता प्रदान करते हुए राज्य में रोजगार सृजन के अवसर पैदा करेगी एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लायी जा सकेगी।

कृषि विपणन निदेशालय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना, किसानों को बाजार की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, किसानों के उत्पाद में वैल्यू एडिशन/मूल्य संवर्द्धन करवाना, किसानों के उत्पादों के भंडारण की सुविधा में सहयोग करना, किसानों के लिए प्रसंस्करण में मदद करना, कृषि उत्पादों के बेहतर पैकेजिंग की व्यवस्था किया जाना है। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 14 (चौदह) पदों का सृजन किया जा रहा है।

3/6

(संजय कुमार अग्रवाल),
सरकार के सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या—01 / स्था० -26(निय...) ... / 2024

2

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट ।।

"बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में बिहार राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित खेल गतिविधियों / कार्यक्रमों का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन, आधारभूत संरचना का विकास करने इत्यादि उद्देश्यों से राज्य में खेल का वातावरण तथा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने तथा मानव बल के सहयोग के प्रयोजनार्थ खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय (जिला / प्रमंडलीय स्तर) कार्यालयों के लिए बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग के क्रीड़ा प्रशिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकार, संवर्ग संरचना, शैक्षणिक अहर्त्ता, मूल कोटि में नियुक्ति, आरक्षण, वरीयता एवं प्रोन्नति इत्यादि अन्य सेवा शर्तो का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

BRajendra 3.6.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

3

संचिका संख्या–01 / स्था०–26(नियo)–02 / 2024

बिहार सरकार
खेल विभाग

।। **प्रेस नोट**।।

"बिहार खेल सेवा संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में बिहार राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन, आधारभूत संरचना का विकास करने इत्यादि उद्देश्यों से राज्य में खेल का वातावरण तथा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने तथा मानव बल के सहयोग के प्रयोजनार्थ खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय (जिला/प्रमंडलीय स्तर) कार्यालयों के लिए बिहार खेल सेवा संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकार, संवर्ग संरचना, शैक्षणिक अहर्त्ता, मूल कोटि में नियुक्ति, आरक्षण, वरीयता एवं प्रोन्नति इत्यादि अन्य सेवा शर्त्तो का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

Rajendra 3.6.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

संचिका संख्या—01/स्था०-26(नियु०) 03/2024

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। प्रेस नोट।।

"बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में बिहार राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन, आधारभूत संरचना का विकास करने इत्यादि उद्देश्यों से राज्य में खेल का वातावरण तथा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने तथा मानव बल के सहयोग के प्रयोजनार्थ खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय (जिला/प्रमंडलीय स्तर) कार्यालयों के लिए बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकार, संवर्ग संरचना, शैक्षणिक अहर्त्ता, मूल कोटि में नियुक्ति, आरक्षण, वरीयता एवं प्रोन्नति इत्यादि अन्य सेवा शर्तो का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

संचिका संख्या– 3/एम.–14/2025

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेस नोट

बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारित किया गया है।

5/6/25

(गुफरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

(6)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM–JANMAN) के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों(PVTGs) यथा– असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरियापहाड़िया एवं सावर जनजाति के योग्य परिवारों के आवास की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर आवास का लाभ देने की स्वीकृति दी गयी। योजनान्तर्गत चिन्हित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 2 लाख रूपये चार बराबर किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ उनके बैंक खाता में उपलब्ध कराया जाएगा।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना
04/6/2025

C:\Users\ACER\Desktop\Sanlekh_2025\Cabinet Sanlekh\Press Note cabinet.doc

सं0सं0–10/पद सृजन–19–01/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार बिहार को खेल के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने एवं प्रतिभाओं को समुचित अवसर देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है।

2– खेल के क्षेत्र में युवाओं को अधिक–से–अधिक भाग लेने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। खेल प्रतिस्पर्धी होने के फलस्वरूप खेल के दौरान लगने वाली चोटों की जटिलता में त्वरित एवं विशिष्ट चिकित्सा नहीं मिलने के कारण खेल में वापसी करने में काफी समय लग जाता है। अतः विशेष कौशल और नवीनतम तकनीक से उन चोटों के उपचार प्रबंधन हेतु एक स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा–घात (Sports Injury) का विशिष्ट उपचार किया जा सके तथा चोटिल खिलाड़ियों का आधुनिक तकनीक से पुनर्वास (Rehabilitation) किया जा सके।

3– उपरोक्त आवश्यकता को देखते हुए राज्य में स्पोर्ट्स इंजरी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 20 शय्या (Bed) के एक स्पोर्ट्स इंजरी ईकाई संचालित करने हेतु आवश्यक विभिन्न कोटि के 36 (छत्तीस) नये पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

8

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–51/2023

डा0 आशीष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया के विरूद्ध दिनांक–17.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–496(9) दिनांक–16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1572(9) दिनांक–25.10.2023 एवं पत्रांक–222(9) दिनांक–06.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमार को सरकारी सेवा से सेवाच्यूति करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–220 दिनांक–17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 आशीष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया के विरूद्ध दिनांक–17.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से सेवाच्यूति करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

9

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–27/2023

डा0 मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुंड, गोगरी, खगड़िया को दिनांक–04.04.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–528(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–971(9) दिनांक–15.09.2023 एवं पत्रांक–192(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 आलम को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–211 दिनांक–17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुंड, गोगरी, खगड़िया को दिनांक–04.04.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–47/2023

डा0 जागृति सोनम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–520(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1095(9) दिनांक–05.10.2023 एवं पत्रांक–204(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 सोनम को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–219 दिनांक–17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 जागृति सोनम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–15/2023

डा0 अनामिका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (SNCU) सदर अस्पताल, लखीसराय को दिनांक–16.09.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–540(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1081(9) दिनांक–03.10.2023 एवं पत्रांक–191(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–218 दिनांक–17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 अनामिका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (SNCU) सदर अस्पताल, लखीसराय को दिनांक–16.09.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(12)

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9 / आ0–04–64 / 2023

डा0 अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) रेफरल अस्पताल, बड़हिया, लखीसराय को दिनांक–29.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–530(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1775(9) दिनांक–22.12.2023 एवं पत्रांक–223(9) दिनांक–06.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–224 दिनांक–17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) रेफरल अस्पताल, बड़हिया, लखीसराय को दिनांक–29.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

<u>**प्रेस नोट**</u>

बिहार सरकार
<u>**स्वास्थ्य विभाग**</u>

13

सं0सं0—9 / आ0—04—55 / 2023

डा0 अनुपम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय को दिनांक—21.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0—496(9) दिनांक—16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक—1572(9) दिनांक—25.10.2023 एवं पत्रांक—222(9) दिनांक—06.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण—पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण—पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक—12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—215 दिनांक—17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 अनुपम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय को दिनांक—21.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

3/6/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(14)

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0—9/आ0—04—28/2023

डा0 अभिनव कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौवा, हलसी, लखीसराय को दिनांक—15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0—536(9) दिनांक—17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक—1060(9) दिनांक—26.09.2023 एवं पत्रांक—200(9) दिनांक—02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण—पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण—पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक—12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—216 दिनांक—17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 अभिनव कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौवा, हलसी, लखीसराय को दिनांक—15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

मेगा स्किल सेंटर के माध्यम से राज्य के युवाओं एवं जन सामान्य को बेहतर भविष्य की दिशा में कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसरों को समझने में मदद एवं उनको मिलने वाली अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन करने के साथ ही युवाओं को अच्छे कौशल एवं नौकरी के अवसर प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

राज्य के युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप अत्याधुनिक रोजगारपरक कौशल ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक प्रमण्डलीय जिलों में एक–एक मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जायेंगे, जिसका संचालन बिहार सरकार तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार कुल 09 मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

इससे उद्योगों को अधिक कुशल मानव बल की आपूर्ति होगी तथा इससे व्यावसायिक एवं आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज में समृद्धि बढ़ेगी एवं सामाजिक समानता बनी रहेगी।

सचिव
श्रम संसाधन विभाग

(16)

प्रेस नोट

जल संसाधन विभाग अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् रुपये 100 (सौ) करोड़ से कम लागत की दो अदद् योजनाओं (1. हसनपुर–बनिया से सगुनी की बीच 8.330 कि0मी0 की लम्बाई में नये तटबंध का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य तथा 2. पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के दायें तट पर पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य) को प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त विपत्र कोड (49–4711010510209 / 49–4711010510309) के स्थान पर राज्य योजना मद के विपत्र कोड (49–4711010510110 / 49–4711017890104 / 49–4711017960101) में व्यय भारित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

वर्तमान प्रस्ताव के स्वीकृति के फलस्वरूप योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा एवं बाढ़ जैसी आपदा एवं जान–माल की क्षति को न्यून किया जा सकेगा।

6/6

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

17

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

प्रेस नोट

योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 बनाने का निर्णय लिया गया है।

इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न डाटा बेस तैयार एवं अद्यतन करने के साथ–साथ किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने, चालान अनुज्ञप्ति (Licence) जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, पासपोर्ट जारी करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण कार्य का सरलीकरण, डिजिटाइजेशन कर कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत निर्धारित कार्य दिवस में इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रमाण–पत्र निर्गत होने से आम नागरिकों को सुविधा होगी।

15/5/2025

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेस नोट

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। इस नियमावली की स्वीकृति से बिहार गव्य संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति एवं उच्चतर पदों पर प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

6/6/25
सरकार के अपर मुख्य सचिव

K/L Sanlkh

58

19

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(आई0सी0डी0एस0 निदेशालय)

प्रेस नोट

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।

आई0सी0डी0एस0 निदेशालय अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों की नियुक्ति / प्रोन्नति, राज्य स्तर पर बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अन्य सरकारी लाभ प्रदान करने में एकरूपता आएगी।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
समाज कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

20

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के पश्चात् राज्य के शहरी क्षेत्रों में विज्ञापन की प्रकिया सुलभ एवं नियमानुसार संचालित होगी तथा इससे नगर निकायों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ–साथ सशक्त एवं सुदृढ़ होगी।

28/5/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(1)

(21)

बिहार सरकार
<u>पंचायती राज विभाग</u>

प्रेस नोट

पंचायती राज विभाग के स्वतंत्र विभाग के रूप में पुर्नगठन के साथ ही विभाग के बढ़ते कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा उप निदेशक (पंचायत राज) का कार्यालय/जिला पंचायत राज कार्यालय/कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति का कार्यालय/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा की विनियमित किये जाने के उद्देश्य से लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 का गठन किया गया है।

पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा समुचित अभिलेखन हेतु पंचायत राज अभियंत्रण संगठन का कार्यालय एवं ग्राम पंचायत का कार्यालय में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के 8093 (आठ हजार तिरानवे) निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

9/6/25
(मनोज कुमार)
सचिव

प्रेस नोट

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में विभिन्न श्रेणी के कुल 04 (चार) पदों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय एवं संविदा के आधार पर उक्त पदों पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में ।

बिहार राज्य में राज्य के विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के वायु गमनागमन तथा आपदा की स्थिति में वायु मार्ग से सहायता पहुचाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत वायुयान संगठन निदेशालय गठित है। निदेशालय में राजकीय विमान के उड़ान हेतु वरीय विमान चालक के 02 (दो) पद एवं संगठन के विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु कन्सलटेन्ट का 01 (एक) पद एवं सिविल इंजीनियर का 01 (एक) पद सृजित है।

निदेशालय के सुगमतापूर्वक संचालन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निदेशालय में इन विभिन्न श्रेणी के कुल 04 (चार) सृजित पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु निम्न पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारित किया गया है--

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या।	पारिश्रमिक निर्धारण समति द्वारा संविदा के आधार पर निर्धारित समेकित नियत पारिश्रमिक/मानदेय प्रतिमाह प्रतिपद
01	वरीय विमान चालक **(Senior Aircraft Pilot)**	02	₹4,60,000/-(चार लाख साठ हजार रूपये मात्र), एक मुश्त। (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता अथवा कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।)
02	कन्सलटेन्ट (Consultant)	01	सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा की स्थिति में बिहार सरकार के नियमानुसार देय मानदेय अथवा ₹1,50,000/-(एक लाख पचास हजार रूपये मात्र), प्रतिमाह में जो न्यूनतम हो। (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।)
03	सिविल इंजीनियर **(Civil Engineer)**	01	सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा की स्थिति में बिहार सरकार के नियमानुसार देय मानदेय अथवा ₹1,50,000/-(एक लाख पचास हजार रूपये मात्र), प्रतिमाह में जो न्यूनतम हो। (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।)

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव